शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-635/2026/1189/26-27-सिं-4-CN-1682538

प्रेषक,

एस०पी०गोयल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/ पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2026**

विषय: प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों को पूरी क्षमता से चलाये जाने एवं नहरों की पेट्रोलिंग हेतु प्रशासन /पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-186/2017/2480/17-27-सिं०-4-230(डब्ल्यू)/17, दिनांक 18 सितम्बर, 2017, पत्र संख्या-4/2023/51/23-27-सिं०-4-230(डब्ल्यू)/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2023 एवं शासनादेश सख्ंया-391/2023/358664/2023-27-4-सिं०-4-230(डब्ल्यू)/2017, दिनांक 29 जुलाई, 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष 2026 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितम्बर) से देशभर में कुल मौसमी वर्षा सामान्य से कम होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। कम वर्षा एवं सूखे की स्थिति में नहर प्रणालियों के संचालन हेतु नदियों में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है तथा नहरों को यथासम्भव परिकल्पित डिस्चार्ज पर चलाया जाता है। सूखे तथा कम वर्षा की स्थिति में नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र में एक साथ अत्यधिक पानी की मांग की स्थिति उत्पन्न होती है और एसे में हेड रींच में पानी की अत्यधिक खपत होने पर नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में बन्धा लगाने एवं नहर काटने से दूरस्थ स्थित टेलों को फीड करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मानसून सत्र में अधिकांश जनपदों में औसत से कम वर्षा होने की सम्भावना के दृष्टिगत खरीफ की फसलों की सिंचाई की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश की सभी नहरों में टेल तक पानी पहुँचाया जाना तथा सिंचाई का पानी किसानों के खेत तक पहुँचाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है।

उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों की सिंचाई की समस्या के निराकरण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर सिंचाई, राजस्व, कृषि विभाग आदि के जिलास्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जनपद की समस्त नहरों की सुरक्षा/ सफल संचालन हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट एवं आवश्यक पुलिस बल द्वारा नहरों की पेट्रोलिंग कराएं, जिससे किसानों को टेल तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके एवं इसमें कोई अवरोध न हो।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

एस०पी०गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-635(1)/2026/1189/26-27-सिं-4-CN-1682538 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा०मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

3- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अनिल गर्ग
प्रमुख सचिव।